मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2/11/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :- **मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में स्पष्टीकरण बाबत।**

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ-8-1/2016/ नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017

***

म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-8-1/2016/ नियम/चार दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

2. म.प्र.वेतन पुनरीक्षण,नियम 2017 मे वेतन निर्धारण में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के लिये निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

क.	उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	नियम 10 (2) के अनुसार शासकीय सेवक की नियुक्ति, पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन 2 जनवरी से 1 जुलाई के मध्य (दोनो दिवसों सहित) दिया जाता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी होगी। परन्तु 1 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि 1 वर्ष पश्चात अर्थात आगामी 1 जुलाई नियत की जावेगी। उक्त दोनो स्थिति में 1 जुलाई की तिथि मे वेतन उन्नयन होने पर	नियम 10 (2) के नीचे दिये गये उदाहरणों (क) एवं (ख) में आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को स्पष्ट किया गया है। नियम 10 (2) का निर्वचन इन उदाहरणों के आधार पर किया जाए।

	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि प्रथम पैरा के अनुसार 1 जनवरी एवं द्वितीय पैरा के अनुसार 1 जुलाई अंकित की गई है। जिसके कारण शासकीय सेवकों को विकल्प का चयन करने में कठिनाई हो रही है।	
2.	दिनांक 1-1-2016 को संशोधित वेतन संरचना मे वेतन निर्धारण के बाद अकार्य दिवस/सेवा मे टूट या ऐसी अवधि जिसके प्रभाव से आगामी वेतन वृद्धि पर प्रभाव पडता है, के लिये गणना किस तरह से की जाएगी ?	01-01-2016 को संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के बाद अकार्य दिवस/सेवा मे टूट या ऐसी अवधि जिसके प्रभाव से आगामी वेतन वृद्धि पर प्रभाव पडता है उन प्रकरणो में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु संगणित करने वाली अवधि को 6 वें वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि के सिद्धान्तों के समान ही गणना में लिया जायेगा अर्थात 6 माह अथवा 6 माह से अधिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
3.	पुनरीक्षण वेतनमान मे वेतन निर्धारण के लिये तालिका में दर्शाये इण्डेक्स को अथवा 2.57 के गुणांक का प्रयोग किया जायेगा ?	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 3(iv) के अनुसार संशोधित वेतन संरचना मे वेतन निर्धारण के लिये संबंधित वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड वेतन+ व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो तो) के योग को 2.57 के गुणांक के अनुसार संबंधित लेवल में वेतन निर्धारण कर किया जाना है।
4.	दिनांक 1-1-2016 के बाद किसी स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जावेगा।	संशोधित वेतन ढांचे में अग्रिम वेतन वृद्धि देय तिथि को संबंधित लेवल के विद्यमान कोष्ठिका की अगली कोष्ठिका अनुसार देय होगा परन्तु इसका प्रभाव नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि पर नही होगा।
5.	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार 1-1-2016 को यदि किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति हो	म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का नियम 13 पूर्णतः स्पष्ट है। दिनांक 1-1-2016 या उसके

	जाती है तो उसका वेतन निर्धारण 01-01-2016 को पदोन्नत पद पर धारित वेतन पर किया जावेगा अथवा दिनांक 31-12-2015 को प्राप्त वेतन के आधार पर 01-01-2016 को वेतन निर्धारित कर तत्पश्चात 1-1-2016 को पदोन्नत पद के वेतन संरचना मे वेतन निर्धारित किया जायेगा ?	उपरांत पदोन्नति/समयमान प्राप्त होने पर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जाना है, सातवें वेतनमान में अर्थात दिनांक 01-01-2016 को वेतन निर्धारण किया जायेगा तदुपरांत पदोन्नति/ समयमान का वेतन निर्धारण होगा।
6.	01-01-2016 तथा 20-7-2017 के मध्य पदोन्नत, समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन होने पर जिन शासकीय सेवको द्वारा 6 वे वेतनमान के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत किया था क्या उन्हे पुनः 7 वे वेतनमान के अंतर्गत विकल्प देना होगा अथवा पूर्व मे दिया गया विकल्प ही मान्य होगा ?	दिनांक 01-01-2016 से 20-07-2017 के मध्य पदोन्नत/ क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को पदोन्नति/ क्रमोन्नत / समयमान वेतनमान के मामले मे दिनांक 30 नवम्बर 2017 तक विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। विकल्प का प्रारूप प्रपत्र-1 में दिया गया है।
7.	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6(4) के अनुसार एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । चूंकि प्रथम बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से शासकीय सेवक द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये गये है अतः प्रथम बार विकल्प देने में त्रुटि की संभावना रही है। शासकीय सेवको द्वारा यह मांग की जा रही है कि उन्हे विकल्प प्रस्तुत करने का एक अवसर और दिया जाए ?	सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्होने सॉफ्टवेयर के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत किया है एवं विकल्प बदलना चाहते है तब वे आगामी 30 नवम्बर 2017 तक संशोधित विकल्प प्रस्तुत कर सकेगे। यह अंतिम अवसर होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुखवीर सिंह)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-190

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2/11/2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-191

परिशिष्ट–

प्रपत्र

विषय :– दिनांक 01–01–2016 से 20–7–2017 के मध्य संशोधित वेतन संरचना मे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड मे पदोन्नति, क्रमोन्नति या समयमान दिये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प।

...0...

कार्यालयीन आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन संरचना मे उच्च लेवल में वेतन निर्धारण के लिये निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत है :–

(क) संशोधित वेतन संरचना में निचले लेवल मे वेतन वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उच्च लेवल मे मेरा प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाएं।

अथवा

(ख) पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने की दिनांक को संशोधित वेतन संरचना मे उच्च लेवल मे मेरा वेतन पुर्ननिर्धारित कर दिया जाए।

हस्ताक्षर
नाम .....
पदनाम .....
विभाग .....

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित

Rule-192